



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012021-224649
CG-DL-E-22012021-224649

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 02, 1942

No. 298]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 02, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2021

का.आ. 329(अ).—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि असम राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) के अभिन्न अंग के रूप में बरौनी-गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (बीजीपीएल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने की सम्बन्ध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड, असम राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची
बरौनी - गुवाहाटी पाइपलाईन प्रोजेक्ट
(बी. जी. पी. एल.)

राज्य: असम

जिला	सर्कल	मौजा	गाँव	सर्वे नं / दाग नं	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
बरपेटा	सरुपेटा	हस्तिनापुर	पूरन भवानीपुर	297	00	03	56
				276	00	16	86
				615	00	08	73
				274	00	05	60
				265	00	11	72
				263	00	26	90
				255	00	12	05
				218	00	09	02
				298	00	11	60
				268	00	08	16
				273	00	17	58

[फा. सं. एल-/14014/159/2018-जी पी-II]

राज किशोर , अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2021

S.O. 329(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Barauni – Guwahati Natural Gas Pipeline (BGPL) as an integral part of Jagdishpur-Halida & Bakaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) in the State of Assam, a pipeline should be laid by Gail (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date of which copies of the notification issued under sub – section (1) of section 3 of the said Act, as published in the

Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited, State of Assam.

SCHEDULE
BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT
(BGPL)

State : Assam

District	Circle	Mouza	Village	Survey No./ Dag No.	Area		
					Hect.- Are - Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6		
Barpeta	Sarupeta	Hastinapur	Puran Bhawanipur	297	00	03	56
				276	00	16	86
				615	00	08	73
				274	00	05	60
				265	00	11	72
				263	00	26	90
				255	00	12	05
				218	00	09	02
				298	00	11	60
				268	00	08	16
				273	00	17	58

[F. No. L-14014 /159//2018-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.